न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

अपील संख्याः–05/2023 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

गुरदेव सिंह पुत्र श्री भजन सिंह जाति रामदासिया आयु 90 वर्ष निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिह जाति रामदासिया (रिटायर्ड बैंक मैनेजर), निवासी गली नम्बर 2083, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, आरबन स्टेट कॉलोनी, पटियाला तहसील पटियाला जिला पटियाला (पंजाब)।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश 21.09.2023 द्वारा न्यायालय भरण पोषण कल्याण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़, प्रकरण सख्या 02/2023, शीर्षक गुरदेव सिंह बनाम सुखमन्द्र सिंह जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किया गया, के सम्बन्ध में।

निर्णय दिनांकः–10.07.2024

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5, 5 (2) व 23 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 में माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के यहां इन तथ्यों का पेश किया कि प्रार्थी 90 वर्षीय व्यक्ति है। अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी असहाय व वयोवृद्ध है। अपीलार्थी का पुत्र रेस्पोडेन्ट सुखमन्द्र सिंह बैंक में मैनेजर के पद से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी शारीरिक रूप से बीमार रहते है तथा उनकी अनेक प्रकार की दवाईयां चल रही है और अपीलार्थी की पत्नी चलने फिरने में सक्षम नही है व आय के कोई साधन नहीं है। दोनो पति पत्नी एक अलग कमरे में निवास कर रहे है और उनकी देखभाल व सार सम्भाल करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी के नाम से चक 4 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ में खाता सख्या 47/46 सम्वत 2065–68 में 2. 348 हैक्टेयर यानि 09 बीघा कृषि भूमि थी जिसे कुछ समय पूर्व रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को बहला फुसलाकर और उसके वृद्ध होने का नाजायज फायदा उठाकर कुल 9 बीघा कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया। अपीलार्थी व उसकी पत्नी वयोवृद्ध व असहाय होने के कारण स्वयं कमाई कर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण हेतु अपीलार्थी के नाम की कृषि भूमि वापिस दे देने हेतु कहा तथा भरण पोषण की राशि देने के लिए कहा तब रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। रेस्पोडेन्ट सेवानिवृत बैंक मैनेजर है, जिसे प्रतिमाह 1,00,000/– रूपये पेंशन प्राप्त होती है और अपीलार्थी से ठगी मारकर हडप की गई कृषि भूमि का ठेका 3,00,000/– रूपये रेस्पोडेन्ट को प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा कि अपीलार्थी व उसकी पत्नी को रेस्पोडेन्ट 50,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण व ईलाज हेतु अदा करे तथा अपीलार्थी की कृषि भूमि दिलवाई जावे। रेस्पोडेन्ट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि अपीलार्थी गांव जण्डावाली का निवासी नहीं है बल्कि साहोके तहसील बाघापुराना जिला मोगा का निवासी है। अपीलार्थी ने अपने दूसरे पुत्र मलकीत सिंह का विवरण अंकित नही किया है तथा अपीलार्थी के बीमार रहने, अपीलार्थी की पत्नी के चलने फिरने में सक्षम नहीं होने, अपीलार्थी व उसकी पत्नी का एक अलग कमरे में निवास करने, उनकी देखभाल व सार सम्भाल करने वाला कोई नहीं होने को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में अंकित किया कि

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

रेस्पोडेन्ट अपने माता पिता की सार सम्भाल करता आ रहा है और रेस्पोडेन्ट अपने माता पिता को कई बार निवेदन किया कि वह उसके मकान पर आकर रिहायश करे लेकिन प्रार्थी गांव साहोके छोडना नही चाहते। रेस्पोडेन्ट ने अपने माता पिता की सेवा हेतु एक औरत को काम करने के लिए रखा था परन्तु कुछ समय पश्चात अपीलार्थी ने उस औरत को निकाल दिया। कृषि भूमि का उपहार पत्र अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2011 को अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करवाया है। रेस्पोडेन्ट को 1,00,000/– रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त नहीं होती और रेस्पोडेन्ट अपने माता पित का भरण पोषण करता है, अतिरिक्त कथन में यह अंकित किया कि यह प्रार्थना पत्र अपीलार्थी ने अपने दूसरे पुत्र मलकीत सिंह के प्रभाव में आकर पेश किया है। रेस्पोडेन्ट के तीन पुत्रीयां है। मलकीत सिंह ने अपीलार्थी को नाजायज प्रभाव में कर रखा है और मलकीत सिंह यह कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट को नहीं देने के लिए अपीलार्थी पर दवाब दे रहा है, आदि आदि। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना व अपनी पत्नी का आधार कार्ड, जमाबन्दी, मूल निवास प्रमाण पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उपहार पत्र, जमाबन्दी. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी जाकर दिनाक 21.09.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित कर यह आदेश दिया कि अपीलार्थी की मूलभूत सुविधा यथा–रोटी, कपडा एंव समुचित भौतिक सुविधाए व आवासीय सुविधाए रेस्पोडेन्ट उपलब्ध करवावे, प्रकरण में अपीलार्थी के नाम से चक 4 जेआरके तहसील हनुमानगढ में 2.341 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम जण्डावाली मे स्थित थी, जो अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 21.09.2011 द्वारा अपीलार्थी को उपहार में दे दी, के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा है, अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इस न्यायालय में कार्यवाही अपेक्षित नही है। प्रार्थी उपहार पत्र निरस्तीकरण/बदलाव के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी इस आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है–

(1) कि प्रशनगत आदेश दिनांक 21.09.2023 अधिनस्थ न्यायालय कतई गलत, विधि के प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित, नॉन स्पीकिंग, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, शपथ पत्र का परीशिलन किये बिना पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) कि अपीलार्थी ने यह स्पष्ट रूप से साबित किया है कि अपीलार्थी की आयु 90 वर्ष है तथा अपीलार्थी व उसकी पत्नी वयोवृद्ध है तथा वे अपनी सार सम्भाल, भरण पोषण करने में सक्षम नही है तथा रेस्पोडेन्ट, अपीलार्थी व उसकी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने के बावजूद भरण पोषण नही कर रहा है व इंकार कर दिया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) कि अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ पत्र से यह स्पष्टतः साबित किया है कि रेस्पोडेन्ट ने चक 4 जेआरके स्थित 2.341 हैक्टेयर कृषि भूमि को अपीलार्थी को बहला फुसलाकर व उसके वृद्ध होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से करवा लिया जिसका ठेका 3,00,000/– रूपये प्रतिमाह रेस्पोडेन्ट प्राप्त कर रहा है. फिर भी रेस्पोडेन्ट, अपीलार्थी व उसकी पत्नी की सार सम्भाल व भरण–पोषण नहीं कर रहा है।

(4) कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी को केवल यह ज्ञान था कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को बहला फुसलाकर कृषि भूमि अपने नाम से करवा ली तथा यह ज्ञान नहीं था कि यह कृषि भूमि पंजीकृत उपहार पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम से करवाई है। उपहार पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाते समय रेस्पोडेन्ट ने उपहार पत्र के बारे में कोई भी ज्ञान व जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी थी। रेस्पोडेन्ट ने जब यह जवाब पेश किया उस समय अपीलार्थी को तथाकथित उपहार पत्र दिनांक 21.02.2011 की जानकारी व ज्ञान हुआ, इन तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है।

(5) कि माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से या बहला फुसलाकर या किसी अन्य प्रकार से किसी भी व्यक्ति की सम्पति प्राप्त करता है और बाद में वह उस व्यक्ति का भरण पोषण, सेवा सम्भाल की अनदेखी करता है या इंकार करता है, तब इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्राप्त की गई

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

सम्पति को पुनः उसके स्वामी को लौटा दी जावेगी तथा अंतरक के विकल्प पर अंतरण को अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किये है कि रेस्पोडेन्ट ने बहला फुसलाकर व उसके वृद्ध होने का नाजायज फायदा उठाकर उसकी 09 बीघा कृषि भूमि को अपने नाम से करवा लिया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी कर उपहार पत्र में दी गई कृषि भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय में कार्यवाही अपेक्षित नही होने तथा उपहार पत्र निरस्तीकरण/बदलाव के सम्बन्ध में चाराजोही करने के आदेश पारित किये है जो कि विधि के प्रावधानो के विपरित है तथा उपहार पत्र शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

(6) कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी की मूलभूत सुविधाए, रोटी कपडा एवं भौतिक व आवासीय सुविधाए उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है परन्तु यह सुविधाए किस प्रकार से कैसे दी जायेगी और कितनी राशि रेस्पोडेन्ट अदा करेगा, इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है इसलिए अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग होन के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

(7) कि अपीलार्थी का अपने दूसरे पुत्र मलकीत सिंह के साथ कोई सम्बन्ध नही है और अपीलार्थी की कृषि भूमि रेस्पेडेन्ट ने प्राप्त की थी इसलिए रेस्पोडेन्ट ही अपीलार्थी व उसकी पत्नी का भरण पोषण व सेवा सम्भाल करने के लिए जिम्मेवार व उतरदायी थी इसलिए अपीलार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में मलकीत सिंह को पक्षकार नही बनाया और यह प्रार्थना पत्र केवल रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश किया है। मलकीत सिह प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नही है परन्तु फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने मलकीत सिंह को पक्षकार न बनाये जाने का. मूल कृषि भूमि के विवाद से सम्बन्धित होने का अवलम्ब लेकर आदेश पारित किया है जबकि कृषि भूमि का विवाद होने के सम्बन्ध मे कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर नही है, न ही कोई विवाद है।

अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो कि उचित न्यायशुल्क पर आदेश की दिनांक 21.09.2023 से अन्दर मियाद है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि है अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2023 अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अपीलार्थी जरिये न्यायमित्र श्री वतनदीप सिंह वकील उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को दिनांक 02.02.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ परन्तु रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 13.03.2024 को रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। न्यायमित्र अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी प्रार्थी 90 वर्षीय व्यक्ति है। अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी असहाय व वयोवृद्ध है। अपीलार्थी का पुत्र रेस्पोडेन्ट सुखमन्द्र सिंह बैंक में मैनेजर के पद से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी शारीरिक रूप से बीमार रहते है तथा उनकी अनेक प्रकार की दवाईयां चल रही है और अपीलार्थी की पत्नी चलने फिरने में सक्षम नहीं है व आय के कोई साधन नहीं है। दोनो पति–पत्नी एक अलग कमरे में निवास कर रहे है और उनकी देखभाल व सार–सम्भाल करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी के नाम से चक 4 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ में खाता सख्या 47/46 सम्वत 2065–68 में 2. 348 हैक्टेयर यानि 09 बीघा कृषि भूमि थी जिसे कुछ समय पूर्व रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को बहला फुसलाकर और उसके वृद्ध होने का नाजायज फायदा उठाकर कुल 9 बीघा कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया। अपीलार्थी व उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण हेतु अपीलार्थी के नाम की कृषि भूमि वापिस देने तथा भरण–पोषण की राशि देने के लिए कहा तब रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। रेस्पोडेन्ट सेवानिवृत बैंक मैनेजर है, जिसे प्रतिमाह 1,00,000/– रूपये पेंशन प्राप्त होती है और अपीलार्थी से ठगी मारकर हडप की गई कृषि भूमि का ठेका 3,00,000/– रूपये रेस्पोडेन्ट को प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी को रेस्पोडेन्ट से 50,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण व ईलाज हेतु अदा करे तथा अपीलार्थी की कृषि भूमि दिलवाई जावे, कथन करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया। न्यायमित्र अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ

दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय, केरल के आदेश क्रमांक WP(C) No.14802 OF 2019 (A), D/10.10.2019 अनवान T.S.Manju बनाम K.N.Gopi व W.A. No.1851 OF 2016 in W.P.(C) No.8193 fo 2014, D/03.10.2016 अनवान Shabeen Martin w/o williamsree jayan बनाम Muriel w/o Late Rejinold Beemello प्रस्तुत किये।

अपीलार्थी के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। रेस्पोडेन्ट का उपस्थित नहीं आना इससे यह जाहिर होता है कि वह इस प्रकरण में कोई जबाव देही नहीं रखता है। अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी 90 वर्षीय व्यक्ति है। अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी असहाय व वयोवृद्ध है। स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ नहीं है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी को रेस्पोडेन्ट से 50,000 रूपये भरण–पोषण व ईलाज हेतु तथा अपीलार्थी के नाम की कृषि भूमि वापिस दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी को भरण–पोषण व मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भरण–पोषण हेतु अपने दूसरे पुत्र को पक्षकार नहीं बनाने व दौरान बहस केवल कृषि भूमि वापिस दिलवाये जाने का अनुतोष चाहे जाने से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का मूल विवाद रेस्पोडेन्ट को उपहार में दी गई कृषि भूमि को लेकर है। जहां तक अपीलार्थी के नाम से चक 4 जेआरके. तहसील हनुमानगढ़ में 2.341 हैक्ट. कृषि भूमि ग्राम जण्डावाली में स्थित थी जो अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट को उपहार में दे दी जिसका रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 21.02.2011 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाया गया, को निरस्त/बदलाव कर अपीलार्थी के पक्ष में करने का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 23(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि "यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद अपनी सम्पति को दान द्वारा या अन्यथा इस शर्त के साथ अन्तरण करता है कि अन्तरिती मूल सुविधाओं और आधारभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है या इन्कार करता है तो सम्पति का उक्त अन्तरण, कपट, या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अन्तर्गत किया गया माना जाएगा और अन्तरण अधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिक की वांक्षा पर शून्य घोषित किया जाएगा। यह धारा इसके लिए भी प्रावधान करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी सम्पति या उसके भाग में से भरण–पोषण को प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऐसी सम्पति या उसका भाग अन्तरित किया जाता है वहां अधिकार का प्रवर्तन अन्तरिती के विरूद्ध किया जा सकेगा"। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अन्तरित प्रश्नगत कृषि भूमि के उपहार पत्र में ऐसी कोई शर्त का उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया जिससे अपीलार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को भरण पोषण अधिनियम की धारा 23 के तहत इसी धारा 23(1) के अनुसार दिये गये प्रावधान के तहत अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष पोषनीय नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2023 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष, अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़